



चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ (राज.)

HEAD OFFICE

Sahakar Circle, Near Subhas Chok, Chittorgarh
PH-01472-246031, 241401 Fax.-01472-241401

परिचालन अनुभाग

Email-cksbmo@gmail.com
Email - cksbchittor@gmail.com



International Year
of Cooperatives
2025

क्रमांक / परिचालन / 2025-26 /

दिनांक: 15.12.2025

शाखा प्रबन्धक

शाखा कार्यालय

समस्त

विषय :- विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिये सेवा प्रभार ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत अध्यक्ष महोदय के निर्णय दिनांक 15.12.2025 की अनुपालना में विभिन्न बैंकिंग सेवाओं पर वसूल योग्य प्रभार निम्नानुसार रहेगा :-

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित शुल्क (जीएसटी/सेवा शुल्क अतिरिक्त)
1.	चालू खाता	
1.	चालू खाता औसत बैलेंस	10000.00
2.	ऐसे चालू खाते जिनमें औसत बैलेंस रु0 10000.00 से कम जमा है	त्रैमासिक शुल्क रु0 300.00
3.	विगत तीन वर्षों में कोई लेनदेन नहीं हुआ हो	संबंधित को उचित मार्ग द्वारा एक माह की सूचना के पश्चात् आवश्यक न्यूनतम बैलेंस जमा नहीं कराने पर जमा राशि जब्त कर ली जावे ।
4.	खाता बन्द कराने पर	500.00 रुपये
2.	बचत खाता	
1.	बचत खाते में औसत बैलेंस रु0 500.00 त्रैमासिक बैंक बुक वाले खातों में औसत बैलेंस रु0 1000.00 से कम होने पर त्रैमासिक	200.00 रुपये त्रैमासिक
2.	निष्क्रिय खातों, जिनमें तीन वर्ष से कोई लेनदेन नहीं हुआ तथा वांछित न्यूनतम बैलेंस से कम जमा राशि है	संबंधित को उचित मार्ग द्वारा एक माह की सूचना के पश्चात् आवश्यक न्यूनतम बैलेंस जमा नहीं कराने पर जमा राशि जब्त कर ली जावे ।
3.	खाता बंद करने	रु0 250.00
4.	नो फिल खातों जो वित्तीय समावेश के तहत लघु खाते इन पर न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता नहीं होगी ।	—
3.	चैक रिटर्न	
1.	खाते में कम बैलेंस/बैलेंस की अनुपलब्धता होने पर/लिमिट खाली नहीं होने पर	500.00
2.	उपरोक्त 3.1 के अतिरिक्त अन्य कारणों से	300.00
4	1. मुफ्त चैक 20 के उपरान्त प्रति चैक वार्षिक बचत खातों के लिये	रु. 5.00 प्रति चैक
2.	प्रत्येक अतिरिक्त चैक जारी करने पर वार्षिक चालू खाता व नकद साख प्लेज हाइपोथिकेशन खातों के लिए	रु0 5.00 प्रति चैक
5.	1. ड्रूप्लीकेट पासबुक जारी करवाना	रु0 100.00
6	1. अपरिचालित खातों को सक्रिय करना	न्यूनतम बैलेंस की पालना करना
7	1. हस्ताक्षर / फोटो प्रमाणित करना	500.00 रुपये प्रत्येक
8	1. बैलेंस सर्टिफिकेट	रु. 50.00
9	1. रेकरिंग खाता अनियमित आर डी खातों का भुगतान	बचत खातों की ब्याज दर पर
2.	अनियमित आर डी से नियमित करने पर	रु. 3.00 प्रति माह प्रति 100.00 रु. पर
10	ड्राफ्टस :-	
1.	i) रु0 10,000.00 तक	रु0 30.00
ii)	रु0 10,000.00 से 100,000.00 तक	रु0 2.50 प्रति हजार (न्यूनतम 35.00 रु.)
iii)	रु0 100,000.00 से अधिक	रु0 2.00 प्रति हजार(न्यूनतम 250.00 रु.)



General Dir. MO 2025-26

		बैंकर्स चैक:-	
	2.	i) ₹ 10,000.00 तक	न्यूनतम 20.00 ₹.
		ii) ₹ 10,000.00 से 100,000.00 तक	₹ 2.00 प्रति हजार
		iii) ₹ 100,000.00 से अधिक	₹ 1.50 प्रति हजार (न्यूनतम 200.00 ₹.)
11	1.	डी0डी0/बैंकर्स चैक निरस्त करने का शुल्क	₹ 200.00
	2.	डुप्लीकेट डी0डी0/बैंकर्स चैक/मयादि रसीद एवं किसी भी अन्य प्रकार का डुप्लीकेट विलेख जारी करना	₹ 200.00 प्रति विलेख या रसीद + क्षतिपूर्ति बंधक विलेख
	3.	बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट रि-वेलिडेशन करना (समयावधि बढ़ाना)	₹ 200.00
	4.	अदेय प्रमाण पत्र (राजकीय एवं केसीसी ऋण योजना के अतिरिक्त)	₹ 50.00
12	1.	बाह्य चैको का संग्रहण (आई0बी0सी0/ओ0बी0सी0) ओ.बी.सी./आई.बी.सी. के संग्रहण पर निम्नानुसार दरें वसूल योग्य होगी :-	
		i) ₹ 1.00 से 5000.00 तक	₹ 25.00
		ii) ₹ 5000.00 से 10,000.00 तक	₹ 50.00
		iii) ₹ 10,000.00 से 100,000.00 तक	₹ 100.00
		iv) ₹ 100,000.00 से 500,000.00 तक	₹ 200.00
		v) ₹ 500,000.00 से 1000,000.00 तक	₹ 225.00
		vi) ₹ 1000,000.00 से अधिक	₹ 250.00
13.	1.	नकद साख सीमा व्यापारिक, एसएसआई वर्किंग केपीटल एवं अचल सम्पत्ति के विरुद्ध नकद साख सीमा के नवीनीकरण पर सेवा शुल्क वसूल किया जावे जिसकी दरें निम्नानुसार होगी :-	
		i) ₹ 1.00 लाख की सीमा तक	₹ 800.00
		ii) ₹ 1.00 लाख से अधिक एवम 5.00 लाख से कम	₹ 1300.00
		iii) ₹ 5.00 लाख से अधिक एवम 20.00 लाख से कम	₹ 3000.00
		iv) ₹ 20.00 लाख से अधिक की सीमा पर	₹ 5000.00
14	1.	एक वर्ष से पूर्व का चहा गया स्टेटमेंट	₹ 250.00 प्रति छः माह
	2.	खातेदार द्वारा अपने स्वयं के विनिमय साध्य विलेख या जमा पर्ची की छायाप्रति लेने पर	₹ 150.00 प्रति विलेख (3 वर्ष तक)
		3 वर्ष से अधिक पुराने पर	₹ 200.00 प्रति विलेख
	3.	चैक भुगतान की रोक पर	₹ 200.00 प्रति विलेख (अधिकतम ₹.1000.00)
15	1.	अकृषि गतिविधियों की परियोजना पर प्रोसेसिंग फीस की दरें :- अप्रफ्रन्ट फीस के नाम से शुल्क वसूल किया जावेगा, जो ऋण स्वीकृत हो जाने पर ही लिया जावेगा । इसकी दरें निम्नानुसार होगी :-	
		i) ₹ 10,00,000.00 तक	स्वीकृत राशि का 1 प्रतिशत
		ii) ₹ 10,00,000.00 से ₹ 20,00,000.00 तक	न्यूनतम ₹ 10,000.00 एवं अतिरिक्त एक हजार पर 0.75 प्रतिशत की दर से
		iii) ₹ 20,00,000.00 से अधिक	न्यूनतम ₹ 17,500.00 एवं अतिरिक्त एक हजार पर 0.50 प्रतिशत की दर से ।
16	1.	बैंक गारन्टी (बैंक की सावधि जमा के विरुद्ध)	1.50 प्रतिशत वार्षिक एवं प्रतिवर्ष 0.50 प्रतिशत वृद्धि (संबंधित से एनओसी प्राप्त होने के एक माह पश्चात् मियादी रसीद का भुगतान होगा।
	2.	अन्य शाखाओं से चैक द्वारा रोकड़ निकालने की अधिकतम सीमा अन्य शुल्क अधिकतम सीमा रोकड़ निकालने की अन्य शाखाओं से (Maximum limit of cash withdrawal from other branches by cheque)	200000.00 लाख (दो लाख अधिकतम) दैनिक आधार पर
	3.	अन्य शाखा पर रोकड़ जमा	
		1. राशि ₹. 50000.00 तक	कोई शुल्क नहीं
		2. राशि ₹. 50000.00 से अधिक पर	राशि 2.00 ₹. प्रति हजार
17	1.	स्टेण्डिंग निर्देश (Standing Instruction) विफल होने पर	₹. 100.00
	2.	इसीएस/डेबिट मेंडेट विफल होने पर	₹. 500.00
18	1	लॉकर किराया लीज वार्षिक -	नगरपालिका क्षेत्र में
		1. छोटे लॉकर (धरोहर के रूप में कम से कम 25000.00 की मियादी जमा)	₹. 1500.00
			ग्रामीण क्षेत्र में
			₹. 1000.00




19	1.	2. मध्यम लॉकर (धरोहर के रूप में कम से कम 50000.00 की मियादी जमा)	रु. 2500.00	रु. 2000.00
		3. बड़े लॉकर (धरोहर के रूप में कम से कम 100000.00 की मियादी जमा)	रु. 5000.00	रु. 4000.00
		4. बैंक स्टाफ से (छोटे लॉकर)	रु. 400.00	रु. 400.00
		आरटीजीएस एवं एनईएफटी चार्ज -	एनईएफटी	आरटीजीएस
		राशि - 10000.00 तक -	रु. 2.50 +GST	-
		राशि - 10,001.00 से 100,000.00 तक -	रु. 5.00 +GST	-
20	1.	राशि - 1000,001.00 से 2,00,000 तक -	रु. 15.00 +GST	-
		राशि - 2,00,001.00 से 5,00,000 तक -	रु. 25.00 +GST	रु. 24.50 +GST
		राशि - 5,00,000 से अधिक	रु. 25.00 +GST	रु. 49.50 +GST
		एसएमएस अलर्ट -	रु. 15.00 प्रति त्रैमास	
		रुपे कार्ड (एटीएम) के उपयोग के सन्दर्भ में शीर्ष बैंक से कार्ड प्राप्त करते समय उन पर उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार प्रभार पर सहमति रही है। जो निम्नांकित है -		
		1. Enrollment Fee	रु. 125.00	
		2. Annual Fee	रु. 200.00	
		3. Additional Card	रु. 150.00	
		4. PIN Replacement Fee	रु. 50.00	
		5. Card Replacement Fee	रु. 150.00	
22	1.	रुपे कार्ड (एटीएम) ट्रांजेक्शन के सन्दर्भ में शीर्ष बैंक से कार्ड प्राप्त करते समय उन पर उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार प्रभार पर सहमति रही है। जो निम्नांकित है -		
		Transactions		
		OWN ATM		
		Free (Financial/non financial) transaction per month in metro cities and metro cities	Five	Five
		Charge from 6 th Transaction	Rs. 19/-	Rs. 9/-
		Other Banks's ATM		
		Free (Financial/non financial) transaction per month in metro cities and metro cities	Five	Five
		Charge from 6 th Transaction	Rs. 19/-	Rs. 9/-
		Daily Usage Limits		
		Cash Withdrawal(Three Transaction Per Day)	Rs. 40,000/-	
Purchase Transaction Limit at Merchant Establishment	Rs. 40,000/-			

नोट -

- सभी चार्जेज में सेवा शुल्क केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त रहेगा।
- बैंक के पत्रांक परि./2014-15/1155 दिनांक 24.12.2014 में वर्णित स्टाफ सदस्य के रूप में परिभाषित बैंक स्टाफ को उनके निजी उपयोग हेतु व्यवसाय हितों के अतिरिक्त उपरोक्त वसूल योग्य प्रभार से छूट होगी (लॉकर किराये एवं रुपे कार्ड (एटीएम) के अतिरिक्त)।
- सभी प्रकार के प्रभारों के साथ किसी भी प्रकार के राजकीय प्रभार जो राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार को भुगतान योग्य है एवं डाक खर्च अतिरिक्त वसूल किया जावेगा।
- सभी प्रकार के जमा खातों के खातेदार की मृत्यु पर या शारीरिक रूप से असक्षम होने पर खाते की बकाया राशि का अंतरण चार्जेज व खाता बन्द करने के चार्जेज से छूट होगी।
- सभी प्रकार की जमा राशि के भुगतान के विरुद्ध व ऋणों के भुगतान के विरुद्ध बैंकर्स चैक जारी करने पर वसूल योग्य प्रभार से छूट होगी।
- भूमि विकास बैंक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा खाते में पर्याप्त फण्ड होने पर/नियमित लेनदेन करने पर एवं पैक्स एवं लेम्पस को खाते के अंतरण पर वसूल योग्य प्रभार से छूट होगी।
- उपरोक्त लिखित दरें नये एवं पुराने खातों पर दिनांक 15.01.2026 से प्रभावी होंगी एवं इसको शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
- उपरोक्त प्रभार एवं दरें उच्च वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी निर्देशों एवं बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा उपरांत परिवर्तनशील।



(नानालाल चावला)
प्रबन्ध निदेशक



प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, बैंक ।
2. मुख्य प्रबंधक, बैंक ।
3. प्रबंधक, बैंक ।
4. सीबीएस नोडल अधिकारी को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि संशोधित प्रभार/सर्विस चार्ज को लागू करने हेतु सोफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करावें ।



(नानालाल चावला)
प्रबन्ध निदेशक